न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्त्व (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 93/2021

अनवान : –

1. धर्मवीर पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. उम्मेद सिंह 2. आदराम 3. आईदान पि0 अर्जनराम जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर, जिला हनुमानगढ़ राज. ।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 19/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 273/273 की कुल 4.3120 हैक्ट भूमि सुखी देवी पत्नी अर्जन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त सयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक कृषि भूमि सायल के पडदादा चुन्नीराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट के सयम की पुरानी कृषि भूमि है उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि बाद वफात चुन्नीराम पुत्र बीरबलराम उसके लड़के अर्जन पर बतौर कर्ता सयुक्त हिन्दु परिवार औद हुई तथा उक्त पैतृक कृषि भूमि में सायल के पिता मृतक भागीरथ व गैरसापलान सं. 1 ता 3 व मृतक महेन्द्र का पैदायशी हक व हिस्सा बाई बर्थ राईट है तथा उक्त भूमि मे मृतक अर्जन व उसके पांचो लड़को भागीरथ महेन्द्र, उम्मेद आदराम व आईदान का ब.हि.ब. हर एक का 1/6 हिस्सा था। उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि जो बतौर कर्ता सयुक्त हिन्दु उसकी पुरानी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 226 की 76 बीघा व खसरा 234 की 2 परिवार अर्जनराम पुत्र चुन्नीराम के नाम चुन्नी पुत्र बीरबल के फौत होने के पश्चात 1/6 हिस्सा के उसके फौत होने के बाद उसके पांचो लड़को यानि मृतक भागीरथ बीघा 6 बिस्वा पैमाईश में दर्ज हुई तथा उक्त भूमि में मृतक भागीरथ व मृतक महेन्द्र गैरसायलान स. 2 ता 3 पांचो उक्त भूमि में 5/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा 1/6 हिस्सा मृतक अर्जन पुत्र चुन्नीराम खातेदार काश्तकार थे तथा उसके महेन्द्र व गैरसायलान सं. 1 ता 3 व उसकी पत्नी सुखी देवी ब.हि.ब. बराबर हर एक 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुऐ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:21:21 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवादित भूमि जो [illegible] चुन्नीराम को बतौर कर्ता सयुक्त हिन्दु परिवार प्राप्त हुई वह भूमि अर्जन [illegible] सं. 1 ता 3 व मृतक महेन्द्र व व मृतक सुखी पत्नी स्व. अर्जन [illegible] गलत व नाजायज [illegible] हक व हिस्सा अधिकार दर्ज करवाली तथा सके पश्चात मृतक सुखी पत्नी अर्जनराम [illegible] मृतक महेन्द्र पुत्र

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अर्जनराम्मत गैरसायलान सं. 1 ता 3 ने अपने अपने खाता अलग–अलग करवा लिया तथा मृतक सुखी देवी ने ख.न. 226/5 की तादादी 3.7300 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 334 की 0.5820 हैक्टर भूमि कुल 4.3720 हैक्टर भूमि अपने नाम दर्ज करवाली जबकि उसका समस्त भूमि में 1/5 हिस्सा नहीं था तथा उसका हिस्सा मृतक अर्जनराम के 1/6 हिस्सा में 1/6 हिस्सा था अर्थात समस्त भूमि में 1/36 हिस्सा था तथा इसी प्रकार मृतक महेन्द्र ने समस्त भूमि खसरा नम्बर 226/4 की 3.9070 हैक्टर भूमि दर्ज करवाली जबकि उसका समस्त में 1/5 हिस्सा ही था उसका विवादित भूमि में से 1/6 हिस्सा यानि 7/36 हिस्सा तथा इसी प्रकार गैरसायलान सं. 1 उम्मीदसिंह ने खसरा नम्बर 226/3 की तादादी 3,9070 हैक्टर भूमि भूमि अपने नाम गलत दर्ज करवाली जबकि उसका समस्त भूमि में 1/5 हिस्सा नही था उसका विवादित भूमि में से 1/6, 1/36 हित्सा यानि 7/36 हिस्सा था तथा इस प्रकार गैरसायलान नम्बर 2 आदराम ने खसरा 2 आदराम ने खसरा नम्बर 226/2 की तादादी 3.9070 हैटकर भूमि गलत दर्ज करवा ली जबकि उसका विवादित भूमि समस्त में 1/5 हिस्सा नही था उसका 1/6. 1/36 हिस्सा था इस प्रकार गैरसायलान सं. 3 आईदान का खसरा नम्बर 226/1 की तादादी 3.9070 हैक्टर भूमि गलत दर्ज है जबकि उसका समस्त भूमि में 1/5 हिस्सा नही था उसका विवादित भूमि में 1/6.1/36 हिस्सा था क्या उक्त समस्त भूमि में गैरसायलान व मृतक सुखी देवी व मृतक महेन्द्र के नाम वादग्रस्त भूमि गलत दर्ज है मगर उक्त गलत इन्द्राज जमाबन्दी से सायल व दावा में प्रतिवादीगण के खातेदारी हकुक का हनन होता है। तथा सायल जमाबनदी दुरूस्त करवा अपने आपको व प्रतिवादीगण सं. 1 भागीरथ मृतक वारिसान को 7/36 हिस्सा व मृतक सुखी 1/36 हिस्सा व मृतक महेन्द्र उसके वारिसान 7/36 हिस्सा के तथा गैरसायलान स. 1 ता 3 हर एक 7/36 हिस्सा यानि प्रत्येक 7/36 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के मजाज है।

विवादित भूमि समस्त गैरसायलान सं. 1 ता 3 व मृतक महेन्द व मृतक सुखी पत्नी भागीरथ के नाम हक व हिस्सा से ज्यादा दर्ज है। जिससे उक्त गलत इन्द्राज जमाबन्दी का नाजायज फायदा उठाकर गैरसायल स. 1 ता 3 उक्त भूमि में कब्जा काश्त सायल व उसक भाई ब.हि.ब. माता को उक्त भूमि से बेदखल करने तथा उक्त भूमि किसी अन्य को फरोख्त करने की ऐलानिया धमकी दे रहा है। जिससे गैरसायल का उपरोक्त मकसद पूरा होने से सायल को ऐसी अपूर्णीय क्षति होती है जिसका अन्दाज नही लगाया जा सकता है। तथा आयन्दा मुकदमें बाजी बढती है जिससे सायल गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 57 के ख0न0 142 की 7.321 हैक्ट, 179 की 4.451 हैक्ट, ख0न0 28 की 6.082 हैक्ट कुल 17.854 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त [illegible] के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:21:21 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। [illegible] स0 1 व 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित जवाब पेश नही करने पर जवाब बंद किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखी देवी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की प्रार्थी की दादी है। सुखी देवी का देहान्त हो चुका हे। सुखी देवी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण है। सुखी देवी के नाम उक्त भूमि को गैरसायल रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर उतारू है अत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के मुताबिक उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखी देवी के नाम दर्ज है जो की प्रार्थी की दादी है तथा सुखीदेवी का देहान्त हो चुका है अर्थात वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक के नाम दर्ज है एवं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज ही नही है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 09.07.2021 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/05/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:21:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर